

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 24.02.2024

जमीन बैनामा कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 691/2023 धारा 420,406,506 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेन्द्रनाथ पुत्र स्व0 लक्ष्मन निवासी सलेमपुर उर्फ मुगलहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी से अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जमीन बैनामा करने के नाम पर 38 लाख 80 हजार रूपया ले लेना व जमीन बैनामा न करना तथा रूपया वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेन्द्रनाथ पुत्र स्व0 लक्ष्मन निवासी सलेमपुर उर्फ मुगलहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 691/2023 धारा 420,406,506 भादसं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार तिवारी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का0 बलवन्त सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 सुरजीत कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर